



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02102026-276707
CG-DL-E-02102026-276707

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5216]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 1, 2026/आश्विन 9, 1948

No. 5216]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 1, 2026/ASVINA 9, 1948

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितंबर, 2026

का.आ. 5425(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3342(अ), तारीख 18 जुलाई 2025, जो भारत के असाधारण राजपत्र, क्रमांक 3269 तारीख 21 जुलाई 2025, में प्रकाशित की गई थी, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गुजरात राज्य में "कांडला गोरखपुर एल.पी.जी. पाइपलाइन परियोजना अनुभाग: दहेज से दुमाड टर्मिनल" तालुका वडोदरा, जिला वडोदरा में एल.पी.जी. के परिवहन हेतु आई.एच.बी. लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां संबन्धित भू-स्वामियों को तारीख 18 सितम्बर, 2025 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और श्री अवलाभाई खातराभाई बारीआ, सक्षम प्राधिकारी और सेवानिवृत्त नायब कलेक्टर, कांडला गोरखपुर एल.पी.जी. पाइपलाइन परियोजना, आई.एच.बी. लिमिटेड, वडोदरा (गुजरात) ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आई.एच.बी. लिमिटेड में निहित होगी ।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी. लिमिटेड पूर्णतयः उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तहसील:- वडोदरा

जिला:- वडोदरा

राज्य:- गुजरात

मौजा / ग्राम	सर्वे / ब्लोक / सं.	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर

1	2	3	4	5
सरार	781	00	01	36
	1219	00	01	28
इटोला	1546	00	04	80
	1493	00	10	90
	1522	00	01	25
वडसला	236	00	08	30
अल्हादपुरा	184	00	10	36
नवापुरा	38	00	02	43
	47	00	04	14
केलनपुर	453	00	04	29
	468	00	04	08
	467	00	01	34
रतनपुर	237P	00	08	08
	230	00	10	59
विरोद	469	00	19	83
	232	00	04	37

1	2	3	4	5
	277	00	00	09
	259	00	01	01
	372	00	15	02

[फा.सं. आर-11025(15)/11/2019-ओआर-I-भाग (1)/ई-45901]

हरित कुमार शाक्य, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2026

S.O. 5425(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Vide S.O. No. 3342(E) dated 18 July 2025, published in the Extra Ordinary Gazette of India No. 3269 dated 21 July 2025, issued under Sub-Section (1) of Section-3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Kandla -Gorakhpur LPG Pipeline Project, Section :- Dahej to Dumad Terminal” for the transportation of LPG in Tehsil Vadodara, District Vadodara in the State of Gujarat by IHB Limited;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the concerned land owners up to 18th September, 2025;

And whereas, Shri Avalabhai Khatarabhai Baria, Competent Authority and Deputy Collector (Retd.), Kandla - Gorakhpur LPG Pipeline Project, IHB Limited, Vadodara (Gujarat) has under Sub-Section-(1) of Section-6 of said Act, has submitted his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section-(1) of Section-6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-Section-(4) of Section-6 of the said Act, the Central Government hereby directs that Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of this declaration, in IHB Limited, free from all encumbrances.

IHB Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section-10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

Schedule

Tehsil: - Vadodara

District: - Vadodara

State: - Gujarat

Mouja / Village	Survey/Block No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
SARAR	781	00	01	36
	1219	00	01	28
ITOLA	1546	00	04	80
	1493	00	10	90
	1522	00	01	25
VADSALA	236	00	08	30
ALHADPURA	184	00	10	36
NAVAPURA	38	00	02	43
	47	00	04	14
KELANPUR	453	00	04	29
	468	00	04	08
	467	00	01	34
RATANPUR	237P	00	08	08
	230	00	10	59
VIROD	469	00	19	83
	232	00	04	37
	277	00	00	09
	259	00	01	01
	372	00	15	02

[F.No. R-11025(15)/11/2019-OR-I-Part (1)/E-45901]

HARIT KUMAR SHAKYA, Under Secy.